

पंजीय के सर्व

15-01-15

दिल्ली विधानसभा के आम चुनाव, 2015

सार्वजनिक सूचना

आदर्श आचार संहिता एवं चुनाव नियंत्रण कक्ष के संबंध में

भारत के निर्वाचन आयोग ने दिल्ली विधानसभा के आम चुनाव, 2015 की घोषणा कर दी है और इसलिए आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिला चुनाव अधिकारियों / रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा आपका आचार संहिता पूर्ण रूप से लागू की जाएगी।

जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार, कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्तेजित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु के रूप में कोई परिशोध देता है या लेता है तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा।

इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की धोत पहुंचाने की धमकी देता है तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा।

उत्पन्न दस्ता, रिश्त देने वालों और लेने वालों दोनों के विरुद्ध मामले दर्ज करने के लिए और ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए गठित किए गए हैं जो निर्वाचकों को डराने और धमकाने में लिप्त हैं।

सभी नागरिकों से एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि वे कोई रिश्त लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति कोई रिश्त की पेशकश करता है या उसे रिश्त और निर्वाचकों को डराने/धमकाने के मामले की जानकारी है तो उन्हें क्षेत्र के जिला / रिटर्निंग ऑफिसर के शिकायत प्रकोष्ठ के 24x7 नि:शुल्क नम्बर पर सूचित करना चाहिए।

जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित किसी भी घटना को यदि देखें

- आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन जिसमें किसी भी सार्वजनिक सम्पत्ति / सार्वजनिक दृष्टि में कोई सम्पत्ति का विरूपण शामिल है
- एम्बीदवार / राजनीतिक दलों द्वारा रुपये, शराब, मिष्ठान आदि या रिश्त की पेशकश या वितरण
- मतदाताओं को धमकी / अतिक्रम करना
- किसी भी प्रकार की अनुचित चुनावी कार्यवाही

तो वे मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली के नियंत्रण कक्ष के निम्न नंबर पर इस विषय में सूचित / रिपोर्ट कर सकते हैं:

1800-111-400 (नि:शुल्क)

आप अपने क्षेत्र के जिला निर्वाचन अधिकारी को भी निम्नलिखित टोल फ्री नम्बरों पर सूचित कर सकते हैं:

जिला	नियंत्रण कक्ष का पता	टोल फ्री नंबर	फैन्सा नं.
उत्तर-पश्चिम	कमरा नं. 34, कार्यालय जिलाधिकारी (उत्तर-पश्चिम), कंजवाला, दिल्ली-110081	1800-111-401	25952530
उत्तर-पूर्व	एफ-ब्लॉक, डीसी कार्यालय कॉम्प्लेक्स, नन्द मगरी, दिल्ली-110093	1800-111-402	23073031
दक्षिण	कार्यालय जिलाधिकारी (दक्षिण), एमबी रोड, साकेत, नई दिल्ली	1800-111-403	29532188
मध्य	कार्यालय जिलाधिकारी (मध्य), ओल्ड एम्प्लायमेंट एक्सचेंज बिल्डिंग, 14, दरियागाज, नई दिल्ली	1800-111-404	23284933
दक्षिण-पश्चिम	कार्यालय जिलाधिकारी (दक्षिण-पश्चिम), ओल्ड टर्मिनल टैक्स बिल्डिंग, कापराहड़ा, दिल्ली	1800-111-405	25063013
पूर्व	कार्यालय जिलाधिकारी (पूर्व) आईएडएफसी विनाम, एलएम बघ, शास्त्री नगर, दिल्ली	1800-111-406	22455519
पश्चिम	ओल्ड मिडिल स्कूल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, रामपुरा, दिल्ली-110035	1800-111-407	27391542
उत्तर	1, कृपा नारायण मार्ग, दिल्ली-110054	1800-111-408	23928072
नई दिल्ली	आपदा प्रबंधन केंद्र, 2 हुमायूँ रोड, नई दिल्ली	1800-111-409	24621006 24621008

शिकायतें मुख्य चुनाव अधिकारी दिल्ली की आधिकारिक वेबसाइट www.ceodelhi.gov.in पर दिए गए लिंक "Online Complaint" पर भी दर्ज करा सकते हैं।

कॉल सेंटर नं. 1950

वेबसाइट: www.ceodelhi.gov.in

फैसबुक: Chief Electoral Officer Delhi



मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, दिल्ली

ओल्ड सेंट स्टीफेन कॉलेज बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006

DIP/1952/14-15